<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2318

31 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

एफएसएनएल में अनियमितताएं

2318. श्री राजेश वर्माः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को एफएसएनएल के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कथित रूप में अनियमितताओं, नियमों के उल्लंघन, अनुचित व्यवहार, कदाचार, कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज ऐसी शिकायतों की संख्या सहित की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एफएसएनएल में अनियमितताओं/कदाचारों को रोकने के लिए एफएसएनएल के कार्यकरण की निगरानी के लिए क्या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा एफएसएनएल के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>इस्पात राज्य मंत्री</u> **<u>श्री विष्णु देव साय</u>**

(क) और (ख): गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान सरकार को फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के संबंध में विभिन्न स्रोतों से आरोपों के रूप में 49 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें से 43 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मामले में जांच-पड़ताल/पूछताछ के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ): एफएसएनएल की अनियमितताओं/कदाचारों को रोकने के लिए मंत्रालय के सतर्कता विभाग और मुख्य सतर्कता अधिकारी (सरकार द्वारा नियुक्त) की अध्यक्षता में एफएसएनएल के सतर्कता विभाग, एफएसएनएल के कार्यों की निगरानी कर रहा है। कर्मचारी की शिकायतों को एफएसएनएल की शिकायत निवारण नीति के अनुसार निपटाया जाता है और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में प्राप्त शिकायतों का मंत्रालय द्वारा आवधिक निगरानी की जाती है।

****